विधानसभा चुनाव में भी नहीं बन पाया चुनावी मुद्दा

आईटीआई 'बदहाल'

ढालवाला में इस जर्जर गोदाम में संचालित हो रहा आईटीआई।

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

ऋषिकेश।

आईटीआई जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की मार झेल रहा

किराए के एक जर्जर गोदाम में संस्थान हो रहा संचालित

तीर्थनगरी क्षेत्र में ढालवाला स्थित आईटीआई स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की मार झेल रहा है। इसके चलते मजबूरन किराए के एक जर्जर गोदाम में संस्थान को संचालित करना पड़ रहा है।

ढालवाला स्थित आईटीआई नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र आईटीआई है। इसके साथ ही ऋषिकेश क्षेत्र के छात्र भी प्रशिक्षण के लिए ढालवाला आईटीआई पर ही निर्भर हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा की बात करें तो संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में अनेकों इंटर कॉलेज स्थित है। लेकिन ढालवाला के बाद चंबा और श्रीनगर ही अगले आईटीआई संस्थान है।

क्षेत्र में ढालवाला के अलावा अन्य आईटीआई नहीं बनाए जाने के कारण विधानसभा क्षेत्र के इंटर कॉलेज के इच्छुक छात्रों को तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। इसके अलावा वर्तमान में ढालवाला आईटीआई एक पुराने जर्जर गोदाम में संचालित किया जा रहा है। यह गोदाम सरकार ने उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ से किराए पर लिया हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण कार्य संचालित किए जाते हैं, जबकि गोदाम की स्थिति अत्यधिक दयनीय बनी हुई है।

सरकार द्वारा आईटीआई के लिए ना ही जमीन उपलब्ध कराई जा रही है और ना ही भवन उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। वहीं पूर्व में ढालवाला आईटीआई में कई ट्रेड से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण पूर्व में चलने वाले पर्यटन गाइड आदि ट्रेड को बंद कर दिया गया है।

वर्तमान में ढालवाला आईटीआई में केवल सिलाई-कढ़ाई और विद्युत कार टेक्निशियन ट्रेड का ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके चलते आईटीआई के प्रति सरकार की उपेक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं।

सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर और सुविधाओं से युक्त होना चाहिए, वहां सरकार इन सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की अनदेखी कर रही है। इससे यह संस्थान बंद होने की कगार पर पहुंच गए है।

गौरव राजपूत, निवासी ढालवाला

मुनिकीरेती-ढालवाला क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है। वही जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते ढालवाला स्थित आईटीआई भी बंदी की कगार पर है। सरकार को क्षेत्र के युवाओं की शिक्षा और उनके युद्ध रोजगार के विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

प्रवीन गैरोला, निवासी चौदह बीघा

डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क न होना बना पलायन का प्रमुख कारण

राजधानी पास, गांव फिर भी 'दुर्गम'

कहीं पगड़ंडी तो कहीं कच्ची सड़क, लोगों की आस लगी टूटने

प्रदेश की सबसे विकसित कही जाने वाली डोईवाला की तस्वीर

न्याय पंचायत थानों और रानीपोखरी में हैं कई पहाड़ी गांवों

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

डोईवाला।

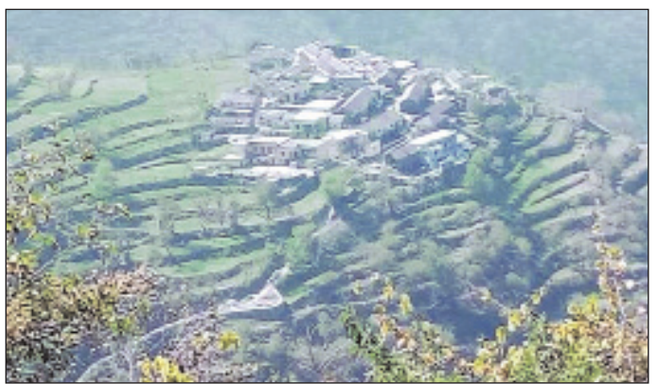

सड़क के इंतजार में डोईवाला का नाहीं कला गांव।

डोईवाला के सिंधवाल गांववासी पैदल चलने को मजबूर।

राज्य की सबसे हॉट सीटों में शुमार डोईवाला विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभाओं में गिरा जाता है। क्योंकि इस विधानसभा में जौलीग्रांट एयरपोर्ट, हिमालयन अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एसडीआरएफ मुख्यालय, होमगार्ड मुख्यालय, शुगर मिल, इंण्डस्ट्रियल एरिया और कई दूसरे व्यापारिक संस्थान भी हैं। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की दूसरी तस्वीर ये है कि यहां के कई पहाड़ी इलाकों में आजादी के बाद से लेकर अब कच्ची सड़क भी नहीं पहुंची है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं।

न्याय पंचायत थानों और रानीपोखरी में अनेक पहाड़ी गांवों में जाकर ऐसा लगता है, जैसे सुदूर पहाड़ी जिले के किसी दुर्गम क्षेत्र में पहुंच गए हों। इन पहाड़ी गांवों तक सड़क नहीं पहुंचने के कारण लोगों ने भारी संख्या में यहां से पलायन कर दिया है। ज्यादातर बुजुर्ग और बूढ़े लोग ही गांवों में अब रह रहे हैं।

लोगों का कहना है कि यदि उनके यहां सड़क पहुंचती तो पलायन रूकता और मैदानी क्षेत्रों में रह रहे उनके बच्चे लौटकर अपने गांव आते। लेकिन आश्वासन, घोषणाओं और फाइलों में डोईवाला के पहाड़ों की सड़कें उलझकर रह गई हैं। लोग यदि अपने गांवों में सब्जियां उगाएं या दूसरे रोजगार के साधन अपनाएं तो सड़कें न होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

थानों और रानीपोखरी के पहाड़ी इलाकों में एक नहीं दर्जनभर गांव ऐसें हैं, जहां सड़क नहीं पहुंच पाई है। ये सबसे विकसित विधानसभा कही जाने वाली डोईवाला की दूसरी तस्वीर है, जिसका जिक्र कोई बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं करना चाहता है। पलायन के कारण यहां वोटरों की संख्या भी घटी है।

इस कारण कम वोटरों की समस्याओं को कोई भी सुलझाना नहीं चाहता है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उनके गांव में सड़कें बनेंगी तो लोग वापस आकर अपने गांव में रहने लगेंगे। इससे मैदानी इलाकों में आबादी का दबाव घटेगा और पहाड़ी इलाके आबाद होंगे।

डोईवाला के पहाड़ी इलाकों से पलायन के कारण दूसरे राज्यों से लोगों ने भारी मात्रा में डोईवाला के पहाड़ी इलाकों में औनेपौने दामों पर जमीनें खरीद ली हैं। स्थानीय निवासी भूषण तिवाड़ी ने कहा कि थानों और रानीपोखरी के पहाड़ों से कई लोग देहरादून के मैदानी इलाकों में नौकरी या दूसरे रोजगार करते हैं। लेकिन सड़कें न होने से वो प्रतिदिन अपने घर से आवाजाही नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उन्हे मैदानी इलाकों में कमरा किराए पर लेकर रहना पड़ता है।

सिंधवाल गांव के प्रधान प्रदीप सिंधवाल ने कहा कि आजादी के बाद अब जाकर सनगांव से लेकर नाही गांव तक 11 किलोमीटर सड़क की घोषणा और पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है। लेकिन इसके बावजूद मार्ग नहीं बन सका। यह मार्ग के बनने से सनगांव, सिंधवाल गांव और नाही के लोगों को लाभ मिलता।

डोईवाला के पहाड़ी इलाकों में इन सड़कों की है दुर्दशा

- वर्ष 2003-04 से लेकर अभी तक भोगपुर थानों के मध्य जाखन नदी से सनगांव नाहीं मोटरमार्ग पांच किमी पक्का मार्ग बना है। लेकिन यह मार्ग सनगांव से अभी भी डेढ़ किमी दूर है। गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीण प्रतिनिधियों के द्वारा कच्चा मार्ग बनाया हुआ है।
- सिंधवाल गांव में थानों से सिंधवाल गांव पुल से थोड़ा आगे तक लगभग डेढ़ किमी मार्ग और पुल निर्माण हुआ है। लेकिन गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। गांव तक पहुंचने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा कच्चा मार्ग बनाया गया है।
- नाहीं कला के लिए सनगांव 5 किमी के आगे से नाहीं कला तक 11 किमी मार्ग स्वीकृत है। लेकिन चार वर्षो से कार्य आरंभ नहीं हुआ है। नाहीं कला तक दोपहिया वाहन से पहुंचने के लिए एक मार्ग सनगांव से तो दूसरा मार्ग सिंधवाल गांव पुल से कच्चा मार्ग स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है।
- फर्ती, जाकर, कैरवान गांव के लिए सात किमी मोटर मार्ग की घोषणा हुई थी। लेकिन अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ है। सनगांव से यहां तक पहुंचने के लिए ग्राम प्रतिनिधियों के द्वारा कच्चा मार्ग बनाया गया है।
- चित्तोर, लडवाकोट, हल्द्वाडी क्षेत्र में थानों से धारकोट तक पक्की सड़क है। लेकिन उसके बाद क्षेत्र में पहुंचने के लिए ग्रामीण प्रतिनिधियों के द्वारा कच्चा मार्ग बनाया गया है।

52 अस्सी वर्ष से अधिक और नौ दिव्यांगों ने किया मतदान

डोईवाला(एसएनबी)। डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत 80 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने घर से बैलट से मतदान किया। निर्वाचन विभाग द्वारा 80 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं के लिए इस बार घर से ही मतदान का विकल्प दिया है, जिससे इस विस चुनाव में 80 प्लस और दिव्यांग मतदाता अपने घर से ही बैलट पेपर से मतदान कर रहे है। बृहस्पतिवार को 80 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं ने बैलट से वोट डाले। यह शुक्रवार को भी 80 प्लस और दिव्यांग मतदाता बैलट से वोट ड़ाल सकेंगे। डोईवाला तहसील के अंतर्गत बृहस्पतिवार को 80 प्लस के 52 मतदाताओं ने और नौ दिव्यांग मतदाताओं ने बैलट से वोट ड़ाले। डोईवाला एसडीएम युक्ता मिश्र ने कहा कि डोईवाला तहसील से जुड़े 80 प्लस के 52 और नौ दिव्यांग लोगों ने बैलट से मतदान किया है। शुक्रवार को भी यह अभियान जारी रहेगा।

बर्फबारी के बीच भी प्रचार नहीं थमा

बर्फबारी के बीच प्रचार करते भाजपा कार्यकर्ता।

मसूरी(एसएनबी)। कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के बीच भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। दलों के कार्यकर्ता बर्फबारी के बीच भी प्रचार करते नजर आये। मौसम खराब था लेकिन भाजपा कार्यकर्ता समय से ही कार्यालय पहुंच गये और अपनी टीमों के साथ कड़ाके की सर्दी में प्रचार के लिए निकल पड़े। जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई तो कार्यकर्ता उसके बाद भी नहीं रूके और बर्फबारी के बीच जोश से लबरेज कार्यकर्ता नारेबाजी के बीच अपनी-अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते रहे।

कांग्रेस के पास नहीं मुद्दा : नवीन

पत्रकारों से वार्ता करते भाजपा प्रवक्ता।

विकासनगर(एसएनबी)। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस के नेता सहसपुर में मुस्लिम यूनीवर्सिटी खोलने के वात कहकर धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा ही नही है। वह केवल जाति धर्म के नाम पर सत्ता में काबिज होने की नाकाम कोशिश कर रहे है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज पूरे प्रदेश में पांच वर्षो में किए गए विकास कार्यो की उपलब्धि लेकर जनता के बीच जा रही है, जिससे कांग्रेस के लोगों में बौखलाहट का माहौल बना हुआ है। उन्हें हार का डर अभी से सताने लगा है, जिस कारण वह धर्म के ठेकेदार बन रहे है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी धर्म, जाति, समुदाय विशेष की वात नहीं करती। प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पार्टी के कार्यकर्ता इसी थीम पर काम कर रहे है। सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई उन योजनाओं में हिन्दू मुस्लिम को नहीं देखा। आवास योजना में सबसे ज्यादा घर मुस्लिम समाज के लोगों को मिले।पत्रकार वार्ता में अरूण मित्तल, नीरज चौहान, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र बिन्जोला आदि थे।

डीएमआई हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

एक्सचेंज बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, टेलीफोन: +91 11-41204444, फैक्स: +91 11-41204000, ई-मेल: vikram.singh@dmihousingfinance.in, www.dmihousingfinance.in

ई–नीलामी विक्रय सूचना (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत) अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सांथ सलाह प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

जन साधारण को सामान्यतया तथा ऋणकर्ता और जमानतदारों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड (सुरक्षित खानदाता) के पास गिरवी बंधक सम्पत्तियों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत 01 दिसम्बर 2021 को सांकेतिक कब्जा लिया था। उक्त प्रतिभूत लेनदार के अभिये प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (मामलेमी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रमांक में नीचे वर्णित बकाया और आगे के ब्याज, प्रभार एवं लागतों की वसूली हेतु नियत वर्णित सम्पत्तियों को ई–नीलामी में रखा जाएगा। सम्पत्तियों को ''जहां है जैसी है'' तथा ''जहां जो कुछ भी जवाबदेह है'' के आधार पर किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना बेचा जाएगा।

नीचे वर्णित सम्पत्तियों की अभिरुचि ई–नीलामी वरिये वेबसाईट https://www.bankeauctions.com के द्वारा भेजा जाएगा।

निरीक्षण की दिनांक व समय: 19.02.2022 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक।

ई–नीलामी की दिनांक व समय: 08.03.2022 को प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक।

निविदा/बोलपत्री जमा कराने की अंतिम दिनांक: 03.03.2022 सांय 4.00 बजे तक।

ऋणी का नाम	बकाया राशि	प्रतिभूति आस्ति का विवरण	(रुपये) आरक्षित मूल्य	(रुपये) ईएमडी 10%
श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश सिंह एवं श्रीमती राजकुमारी पुत्री श्री रामसिंह पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार	कुल आवेदन संख्या 88118859 में रू. 5,29,569/- (रुपये पाँच लाख उनतीस हजार पाँच सौ उनहत्तर मात्र) दिनांक 31.07.2021 तक	प्लॉट नं.26, प्लॉट नं. 348 का हिस्सा, खसरा नं. 407 जो गांव सुमन नगर, परगना लक्सर, हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407 में स्थित।	5,70,000/-	57,000/-

नियम एवं शर्तें:

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई अन्य अग्रभार नहीं है उसांगे इसकुक बोलीदाताओं को अन्य अग्रभारों, सौदायों में रखी गई सम्पत्तियों के स्वांगित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/चकाया राशियों के सम्बन्ध में सांयी ओर से स्वयं स्वांगत जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन, बैंक की कोई उत्तरदायुता निर्मित नहीं करता है और ना ही कोई उत्तरदायुता का प्रतिनिधित्व करता है, सम्पत्तियों की बिक्री सभी ज्ञात व अज्ञात तथा विद्यमान एवं भावी भारसांयों सहित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्यायित लेनदार, किसी भी अन्य तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/देय राशियों टैक्सेज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली लगाने के पूर्व बोलीदारों को धरोहर राशि के भाग में निर्धारित जमा तथा उसे संलग्न करना होगा। इसकुक बोलीदाताओं को नीलामी में रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण प्रत्यक्ष संपत्ति के विवरण के विरुद्ध वर्णित एजेंटों पर करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी अंतिम धनराशि (क्वोटमी) का विवरण और इमानवेटी को डीमांडिंग https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन लॉगइन और पासवर्ड (https://www.bankeauctions.com के साथ पंजीकृत करके भुगतानकर्ता और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं) के प्राप्त जमा कराना। इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हें ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड, ऐप अपलोड करने, निविदा दस्तावेज जमा करने, आनलाईन बोली लगाने में प्रशिक्षण व प्रदर्शन ईमपार्ट हेतु मैसर्स सी। ईक्विटस प्राईवेट लिमिटेड, उद्योग विहार, फेज 2, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन: 122015, ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com, हेल्पलाईन नं.: 0124-4302020, 21,22,23, समर्पित नम्बर: 7291981124, 25,26, सम्पर्क सूत्र: श्री विनोद चौहान मो. नं. +91-9136136867931 से सम्पर्क कर सकते हैं और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी: श्री विक्रम सिंह, मोबाइल नं. +91-9888268855, ई–मेल आईडी: vikram.singh@dmihousingfinance.in पर मोबाइल से इच्छित खरीददारों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
4. ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा दिनांक 04.03.2022 को सायं 4.00 बजे तक निम्न खाते - कोटक महिन्द्रा बैंक, गुरुग्राम कोड यूटिलिटीज कम्पलेक्स लाखा, गुरुग्राम, खाता संख्या 8811684709, खाता का नाम: डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, आईएफएससी कोड: KKBK0000193 में देय होनी अथवा डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी का पता: एक्सचेंज बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के द्वारा देय होगी।
5. सम्पत्तियों की बिक्री सावित्रि मूल्य से कम पर नहीं की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ता बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण बताए बिना किसी भी अथवा सभी एमानतों को स्थगित/ नीलामी स्थगित या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।
6. सफल बोलीदाता द्वारा कुल अंतिम धनराशि को विक्रय प्रतिफल के 25% के रूप में रोक लिया जायेगा तथा असफल बोलीदाताओं को अंतिम धनराशि को नीलामी के दिनांक से 7 कार्यदिवसों के भीतर लौटा दिया जायेगा। अग्रिम धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को विक्रय राशि का 25% जिसमें चुकाई गई अंतिम धनराशि भी सम्मिलित है को समायोजित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस के भीतर तथा शेष विक्रय मूल्य का 75% 15 में दिवस को या उस से पूर्व या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके विवेकाधीन दस्तावेज से लिखित में किए गई समयवृद्धि के भीतर जमा कराना होगा।
7. नियम व शर्तों की अधिक जानकारी के लिए देखेंसाईट https://www.dmihousingfinance.in और ई–नीलामी में भाग लेने व निविदा जमा करने से पूर्व https://www.bankeauctions.com देखें।
8. ऋणियों/जामनदारों को यह सूचना प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के रूप में देनी चाहिए और इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करने का अंतिम अवसर दिया जाता है जैसा कि उपरोक्त दिनांक के 30 दिनों के भीतर बताया गया है। यह सूचना लिखित होने पर संपत्ति अतिरिक्त विवरणों व शर्तों के साथार पर भेजी जाएगी।

स्थान: दिल्ली, एनसीआर दिनांक: 08.02.2022

हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)
डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड

परिसमापन प्रक्रिया विनियमों (आईबीसी, 2016) के विनियम 37(1) के तहत नोटिस

मैसर्स अंसुधन कम्पनीज पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की संपत्तियों के लिए सूचना

सीआईएन - U17226DL2005PTC143849

(दिवाला एवं शोधनक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के अधीन समनुदेशन)

निदेशकों ने आईबीसी/दिवालियापन संहिता विनियमावली, 2016 के विनियम 37 एवं अधीन मैसर्स अंसुधन कम्पनीज पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में), की आस्तियां **"जो है जहाँ है"**, **"जैसी है जो कुछ भी है"** एवं **"आंशिक रहित आधार"** पर समनुदेशन के लिए प्रस्तावित की जा रही है एतदद्वारा इच्छुक पार्टी या पार्टियों से उनकी वित्तीय प्रस्तावनाएँ एवं परियोजनी अभिकारी सहित, की सम्पत्ति परिसीमन के प्रयोजन आस्तियों के समनुदेशन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं,

समनुदेशन के लिए प्रस्तावित आस्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

संलग्नक अनुसूची योग्य नहीं आस्तियों की सूची

विवरण	राशि (INR)	राशि (INR)	अनुलग्नक
एरियन कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों में निवेश		50,00,000	"क"
लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम		1,08,72,285	"ख"
म्युचुअल फण्ड में निवेश		25,000	"ग"
व्यापार प्राप्तियां		13,33,84,240	"घ"
बैंक बैलेंस (संलग्न में बैंकों द्वारा जारी पत्र के समानांतर)		15,467	"ङ"
अल्पावधि ऋण और अग्रिम		1,33,34,675	"च"
बैंकों के पास सावधि जमा (संलग्न में बैंकों द्वारा जारी पत्र के समानांतर)		4,57,001	"छ"
उप योग		**16,30,88,868**	
एनसीएलटी में वित्तीय आवेदन			
धारा 43 व 66 के तहत लेनदेन	2,10,45,000.00		
धारा 66 के तहत लेनदेन	2,44,35,000.00	4,54,80,000	"ज"
कुल योग	**4,54,80,000.00**	**20,85,68,868**	

* नीलामी संबंधित शर्तें

इच्छुक पार्टियां अपने प्रस्ताव आवेदनपत्रों के साथ अतिरिक्त 18-02-2022 को अपरा. 05.00 बजे तक डाकघर पर रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कोरियर, 2016 के संबंधित नियमित प्रावधानों एवं प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के संबंधित लेखा-जोखा अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया लेनदारगण www.arck.in पर उपलब्ध प्रक्रिया सूचना दस्तावेज देखें।

अशोक कुमार दीवान

IBBI पंजी. सं. IBBI/PA-001/IP-P00603/2017-18/11054

दिनांक : 04-02-2022 परिसमापक – मैसर्स अंसुधन कम्पनीज पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली पत्राचार पता और ई–मेल आईडी

409, अंसल भवन, 16, के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,

फोन नं. 011-45101111, मो. 9810191945, ईमेल: insolvency@arck.in

डीएमआई हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

एक्सचेंज बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, टेलीफोन: +91 11-41204444, फैक्स: +91 11-41204000, ई-मेल: vikram.singh@dmihousingfinance.in, www.dmihousingfinance.in

ई–नीलामी विक्रय सूचना (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत) अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सांथ सलाह प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

जन साधारण को सामान्यतया तथा ऋणकर्ता और जमानतदारों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड (सुरक्षित खानदाता) के पास गिरवी बंधक सम्पत्तियों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत 01 दिसम्बर 2021 को सांकेतिक कब्जा लिया था। उक्त प्रतिभूत लेनदार के अभिये प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (मामलेमी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रमांक में नीचे वर्णित बकाया और आगे के ब्याज, प्रभार एवं लागतों की वसूली हेतु नियत वर्णित सम्पत्तियों को ई–नीलामी में रखा जाएगा। सम्पत्तियों को ''जहां है जैसी है'' तथा ''जहां जो कुछ भी जवाबदेह है'' के आधार पर किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना बेचा जाएगा।

नीचे वर्णित सम्पत्तियों की अभिरुचि ई–नीलामी वरिये वेबसाईट https://www.bankeauctions.com के द्वारा भेजा जाएगा।

निरीक्षण की दिनांक व समय: 19.02.2022 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक।

ई–नीलामी की दिनांक व समय: 08.03.2022 को प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक।

निविदा/बोलपत्री जमा कराने की अंतिम दिनांक: 03.03.2022 सांय 4.00 बजे तक।

ऋणी का नाम	बकाया राशि	प्रतिभूति आस्ति का विवरण	(रुपये) आरक्षित मूल्य	(रुपये) ईएमडी 10%
श्री मनीष कुमार पुत्र श्री मनीश कुमार एवं श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री सतो राम	कुल आवेदन संख्या 88881347 में रू. 15,11,748/- (रुपये पंद्रह लाख ग्यारह हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) दिनांक 31.07.2021 तक	खसरा नं. 320 एम जो गांव जगतपुर (नगर निगम हरिद्वार के सीमाओं में) परगना रुड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249407 भारत में स्थित।	12,37,000/-	1,23,700/-

नियम एवं शर्तें:

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई अन्य अग्रभार नहीं है उसांगे इसकुक बोलीदाताओं को अन्य अग्रभारों, सौदायों में रखी गई सम्पत्तियों के स्वांगित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/चकाया राशियों के सम्बन्ध में सांयी ओर से स्वयं स्वांगत जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन, बैंक की कोई उत्तरदायुता निर्मित नहीं करता है और ना ही कोई उत्तरदायुता का प्रतिनिधित्व करता है, सम्पत्तियों की बिक्री सभी ज्ञात व अज्ञात तथा विद्यमान एवं भावी भारसांयों सहित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्यायित लेनदार, किसी भी अन्य तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/देय राशियों टैक्सेज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली लगाने के पूर्व बोलीदारों को धरोहर राशि के भाग में निर्धारित जमा तथा उसे संलग्न करना होगा। इसकुक बोलीदाताओं को नीलामी में रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण प्रत्यक्ष संपत्ति के विवरण के विरुद्ध वर्णित एजेंटों पर करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी अंतिम धनराशि (क्वोटमी) का विवरण और इमानवेटी को डीमांडिंग https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन लॉगइन और पासवर्ड (https://www.bankeauctions.com के साथ पंजीकृत करके भुगतानकर्ता और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं) के प्राप्त जमा कराना। इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हें ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड, ऐप अपलोड करने, निविदा दस्तावेज जमा करने, आनलाईन बोली लगाने में प्रशिक्षण व प्रदर्शन ईमपार्ट हेतु मैसर्स सी। ईक्विटस प्राईवेट लिमिटेड, उद्योग विहार, फेज 2, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन: 122015, ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com, हेल्पलाईन नं.: 0124-4302020, 21,22,23, समर्पित नम्बर: 7291981124, 25,26, सम्पर्क सूत्र: श्री विनोद चौहान मो. नं. +91-9136136867931 से सम्पर्क कर सकते हैं और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी: श्री विक्रम सिंह, मोबाइल नं. +91-9888268855, ई–मेल आईडी: vikram.singh@dmihousingfinance.in पर मोबाइल से इच्छित खरीददारों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
4. ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा दिनांक 04.03.2022 को सायं 4.00 बजे तक निम्न खाते - कोटक महिन्द्रा बैंक, गुरुग्राम कोड यूटिलिटीज कम्पलेक्स लाखा, गुरुग्राम, खाता संख्या 8811684709, खाता का नाम: डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, आईएफएससी कोड: KKBK0000193 में देय होनी अथवा डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी का पता: एक्सचेंज बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के द्वारा देय होगी।
5. सम्पत्तियों की बिक्री सावित्रि मूल्य से कम पर नहीं की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ता बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण बताए बिना किसी भी अथवा सभी एमानतों को स्थगित/ नीलामी स्थगित या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।
6. सफल बोलीदाता द्वारा कुल अंतिम धनराशि को विक्रय प्रतिफल के 25% के रूप में रोक लिया जायेगा तथा असफल बोलीदाताओं को अंतिम धनराशि को नीलामी के दिनांक से 7 कार्यदिवसों के भीतर लौटा दिया जायेगा। अग्रिम धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को विक्रय राशि का 25% जिसमें चुकाई गई अंतिम धनराशि भी सम्मिलित है को समायोजित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस के भीतर तथा शेष विक्रय मूल्य का 75% 15 में दिवस को या उस से पूर्व या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके विवेकाधीन दस्तावेज से लिखित में किए गई समयवृद्धि के भीतर जमा कराना होगा।
7. नियम व शर्तों की अधिक जानकारी के लिए देखेंसाईट https://www.dmihousingfinance.in और ई–नीलामी